

379
2020

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम टीडी की चालू जमाबंदी संवत् 2075-78 के मुताबिक
खता सं. 1240 में प्रार्थी का नाम मन्खलाल पु० रामेश्वर वर्ण है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड,
व पटवारी पत्र में प्रार्थी का नाम मन्खलाल पु० रामेश्वर वर्ण है। अतः प्रार्थी का उपरोक्त
दस्तावेजों के अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना परतावे है।
रिपोर्ट पटवारी अख्तियार शुद्ध किया जाकर उचित हो 21-10-2020

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :- 21-10-20

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुरस्त किये जाने की अभिशंया की जाती है /
की जाती है।

21/10/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

तहसीलदार गुढा गाड़जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुन (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 21-10-20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	टीडी	2075-2078	1240	मन्खलाल पु० रामेश्वर	मन्खलाल पु० रामेश्वर

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 263-264
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 22/10/2020

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी